



॥ ओ३म् ॥


गुरुकुल कांगड़ी (समविश्वविद्यालय) हरिद्वार
(यू०जी०सी० एक्ट 1956 के सेक्शन 3 के अन्तर्गत समविश्वविद्यालय)
Gurukula Kangri (Deemed to be University) Haridwar
(Deemed to be University u/s 3 of UGC Act 1956)

पत्रांक GK(DU)/Estt.-I/ 7/

आषाढ कृष्ण पक्ष अष्टमी, 2081 : वि०सं०
दिनांक 29.06.2024


कार्यालय आदेश

आदेशानुसार, समविश्वविद्यालय के समस्त स्थायी शिक्षक एवं शिक्षिकाओं को सूचित किया जाता है कि जो शिक्षक एवं शिक्षिका दिनांक 30.06.2024 तक कैश प्रौन्नति हेतु पात्र हैं वे अपने PBAS आवेदन पत्र संलग्नकों सहित दिनांक 05.07.2024 तक आन्तरिक गुणवत्ता आश्वासन प्रकोष्ठ में जमा कराना सुनिश्चित करें, विलम्ब से प्राप्त आवेदन पत्रों पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।


कुलसचिव

प्रतिलिपि :-

- 1 मान्य कुलपति जी
- 2 वित्ताधिकारी
- 3 निदेशक, आन्तरिक गुणवत्ता आश्वासन प्रकोष्ठ
- 4 मुख्य सतर्कता अधिकारी
- 5 कोर्डिनेटर, कन्या गुरुकुल परिसर हरिद्वार/देहरादून
- 6 समस्त संकायाध्यक्ष
- 7 समस्त विभागाध्यक्ष
- 8 कुलसचिव कार्यालय


कुलसचिव